

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
लगान रसीद

Sch XIV F. No. 180V

310 Upran 366 401/16-17
जिला का नाम

अनुण्डल का नाम

अंचल का नाम

पौजा

धाना वी धाना नम्बर

JH A 083771

रसीद क्रमांक

19/23/24/16/17

रेयत का नाम

मिला का नाम

बनान्दी नम्बर

124/50

खता संख्या	खेसरा संख्या	एकता (एकड़ में)
284	WP	4.5550

जोत की सालाना मूल्य एवं मांग का विवरण (बकाया एवं कटौत), चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	3 वर्षों के लिये	वर्ष	विवरण	हाल	अग्रिम
लगान	1.00				16-17	
सेस	0.25					
अध्याज	0.50					
विविध	0.50					
योग	0.20					

अदायगी	3 वर्षों के लिये	वर्ष	विवरण	हाल	अग्रिम
लगान			झारखण्ड सरकार	16-17	
सेस					
अध्याज					
विविध					
योग					

- कुल योग शब्दों में 21000/-
- नाम अदाकर्ता
- कुल बकाया

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

यह रसीद जिला एवं बकायों विभाग में ही प्रस्तुत की जावेगी अन्यथा यह रसीद मान्य नहीं है।

SPL/2013

Gundakar Suli

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संस्पती कर की सूचना।

Memo No. : 105726150617021603
Date : 15-06-2017
प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री GURCHARAN SINGH S/O SEWA SINGH,
मोहल्ला GURDWARA ROAD JMT , 9973520041
KODERMA , 825409

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0120000118000M0 वार्ड सं. 12 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं.	स्व-निर्धारित कर की सूचना Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	46.00
2.	जल कर	0.00
3.	शांचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (बति तिमाही)		46.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD Website www.Parishadkoderma.net पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिक् 11.4 के अलावा में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो कारदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पुति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो कारदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय पुति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व गृहीत किया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -गृह-घोषणा पत्र की स्पष्टता एवं वर्षा संभव निगम कर सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिक् 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगी।
7. JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD द्वारा संचालित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/वाहनों को कोई कानूनी इस्तिगत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों/दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नंओ का आधिकारी अंक 5/6/7/8 है तो यह विधिगत संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

Sancharan Singh

To be signed by the Applicant

JHUMRITILAIYA NAGAR PARISHAD, JHUMRITILAIYA

HOLDING TAX RECEIPT

Receipt No. TRAN153448100317041622

Date : 10-03-2017

Ward No : 12

Department / Section : Revenue Section
Account Description : Holding Tax & Others

SAF No. : SAF266545100317041428

Name GURCHARAN SINGH
C/O:-

Address : GURDWARA ROAD , .

MOB : 9973520041

A Sum of Rs. 184.00

(in words) One Hundred and Eighty-Four Only
towards Holding Tax & Others vide Cash No

N.B. Online Payment/Cheque/Draft/ Bankers Cheque are Subject to realisation

Description	Paid Period				Demand Amount
	From	FY	Qtr	To	
Holding Tax	1	2016-2017	4	2016-2017	184.00
				Arrear Amount	0.00
				Penalty Amount	0.00
				Advance Amount	0.00



Signature of Tax Collector

Note:-

- This is a Computer generated Receipt. This receipt does not require physical signature.
- Avail 5% rebate yearly Holding Tax Amount by paying the tax before 30th June of the Financial Year.

For Details Please Visit : udhd.jharkhand.gov.in

In Collaboration With
Ritika Printech Pvt. Ltd.

Ritika Printech Pvt. Ltd.